भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 31

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: ऑयल पाम की खेती

***31. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां ऑयल पाम की खेती की जाती है, में जल की गुणवत्ता और जल स्तर में बदलाव के संबंध में कोई आकलन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐसे क्षेत्रों में जैव-विविधता में बदलाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है जहां ऑयल पाम की खेती की जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कथित रूप से उपरोक्त क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती को छोड़ दिया है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“ऑयल पाम की खेती” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 31 के भाग (क) से (ग) तक के संबंध में उललिखित विवरण।

(क) आईसीएआर-भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर) की पुनर्मूल्यांकन समिति ने वर्ष 2020 में पूर्वोत्तर राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में ऑयल पाम की खेती के संभावित क्षेत्र का आकलन करने हेतु एक अध्ययन किया था, जिसमें मौसम और मिट्टी के मानकों जैसे वर्षा, न्यूनतम तापमान, निरंतर शुष्क अवधि का समय, मिट्टी की गहराई और ढलान (वर्षा सिंचित स्थितियों के लिए) और भूजल स्तर, वर्षा, न्यूनतम तापमान, दोहरी/तिहरी फसल वाले क्षेत्र (सिंचित स्थितियों के लिए) को शामिल किया गया था। भारत में ऑयल पाम की खेती के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीकों का उपयोग करके उपर्युक्त मौसम और मिट्टी के मानकों की मदद से स्पेशियल डिजिटल मैप तैयार किए गए थे। ऑयल पाम की खेती से जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि केला, गन्ना और धान जैसी फसलों की तुलना में इसे कम पानी की आवश्यकता होती है।

(ख) ऑयल पाम की खेती केवल गैर-वन भूमि और कृषि भूमि पर कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर या प्रारंभ में इंटरक्रॉपिंग के साथ करने की अनुशंसा की जाती है। चूँकि वन क्षेत्रों में ऑयल पाम को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) के नुकसान से जुड़ी चिंताएँ कम हो जाती हैं। आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार, ऑयल पाम की खेती, हरित क्षेत्र में वृद्धि करने और कार्बन अवशोषण को बढ़ाने में योगदान देती है।

(ग) कृषि राज्य का विषय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ऑयल पाम की खेती छोड़ने वाले किसानों की संख्या के विशिष्ट डेटा का रख-रखाव केंद्र द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, किसानों के खेतों में ऑयल पाम की खेती में लंबी गेस्टेशन अवधि, प्रतिस्पर्धी फसलें आदि की कुछ सामान्य चुनौतियाँ हैं।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के अंतर्गत, चुनौतियों के समाधान हेतु कई उपाय किए गए हैं, जिनमें गेस्टेशन वर्षों के दौरान इंटर-क्रॉपिंग और इनपुट के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, बीज उद्यानों की स्थापना, वायबिलिटी गैप का प्रावधान, मिलों की स्थापना के लिए वित्तपोषण और उद्योग भागीदारों द्वारा उपज का सुनिश्चित बायबैक शामिल है।

******